पिछले तीन महीने से महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ की खाक छान रही थी पुलिस, दूसरा साथी जैना पैलेस रतनलाल नगर का

250 करोड़ ठगी में राजबीर साथी संग गिरफ्तार

कार्रवाई

50 हजार रुपये राजबीर सिंह यादव पर घोषित था इनाम | **04** बैंकों में क्राइम ब्रांच को 124 खाते जांच में मिले

पकड़े गए ठगी के बारे में बारे जानकारी देते पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पुलिस ने 250 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में 50 हजार के इनामी ठग राजबीर सिंह यादव उर्फ ओमकार और उसके साथी शिवम सिन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजबीर औरैया के दिबियापुर जबकि शुभम जैना पैलेस रतनलाल नगर का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच को जांच में चार बैंकों में 124 खाते मिले हैं जिनसे पिछले पांच साल में 250 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया। एनसीआरपी पोर्टल पर इन खातों की 1600 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस को आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इस खेल का मास्टरमाइंड सासाराम बिहार का अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ जॉन शीना उर्फ वैलेंटाइन फरार है। पुलिस को उसके दुबई में होने की जानकारी मिली है। उसका पासपोर्ट निरस्त कराकर उसे डिपोर्ट कराने की बात पुलिस कह रही है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि तीन माह पहले पुलिस ने गेमिंग ऐप से 100 करोड़ की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा था। जांच में क्राइम ब्रांच को बारां में रहने वाले दिबियापुर के राजबीर सिंह यादव उर्फ ओमकार की जानकारी मिली थी। इंटर पास राजबीर फिनो मर्चेंट बैंक में कर्मचारी था और खाते खुलवाने का काम करता था। इसी के चलते बैंक कर्मियों से उसकी पहचान हो गई। इसके बाद उसने बैंक का काम छोड़कर वर्ष 2021 में साइबर क्रैफ खोला। जिसमें वह दस्तावेजों की फोटोकॉपी, पैन व आधार करेक्शन, ऑनलाइन प्रतियोगी फॉर्म भरने, मनी ट्रांसफर जैसे काम करता था। उसके साइबर क्रैफ में जैना पैलेस रतनलाल नगर निवासी शिवम सिन्हा और सासाराम बिहार निवासी अभय शुक्ला का आना जाना था। दोनों पनकी स्थित एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। शिवम ने बैचलर ऑफ ट्रिज्म और अभय ने बीटेक साथ किया था। कैफे में आने जाने के दौरान तीनों का परिचय हुआ। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अभय राजबीर को एक खाता खोलने पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह देता था। राजबीर ने सीबीएस बैंक अधिकारियों की मदद से 25 से 30 खाते खुलवाए। इन खातों का संचालन राजबीर खुद करता था। उसका मोबाइल नंबर खातों से अटैच रहता था। अप्रैल में चार बैंक अधिकारियों समेत आठ लोगों की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने बुधवार को उसे धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर शिवम को भी पकड़ा गया। चार बैंकों एक्सिस बैंक, यूनिटी बैंक, उत्कर्ष और सीबीएस बैंक में इनके 124 खातों की जानकारी मिली है। एनसीआरपी पोर्टल पर इन खातों की 1600 शिकायतें दर्ज हैं। देश के करीब नौ राज्यों से यह शिकायतें की गई हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच इन खातों में 250 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है। इस मामले में मास्टरमाइंड सासाराम बिहार का अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ जॉन शीना उर्फ वैलेंटाइन फरार है। वह जब पकड़ा जाता है तो नाम बदल लेता है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उसके दुबई में होने का पता चला है। उसका पासपोर्ट निरस्त कराकर उसे डिपोर्ट कराया जाएगा।

गोल्ड लोन से एक नंबर की बनाते थे ठगी की रकम

पुलिस आयुक्त ने बताया कि गैंग साइबर ठगी की रकम को एक नंबर का करने के लिए गोल्ड लोन में खेल करता था। गैंग और उससे मिले बैंककर्मी ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो लोन की किश्त अदा नहीं कर पाते हैं। उन्हें लोन की कुल राशि से दो से तीन लाख रुपये अतिरिक्त देकर उनका गोल्ड छुड़वाया जाता। उसके बाद अतिरिक्त राशि देकर गैंग गोल ले लेता और दूसरे बैंक में जमा करा देता। बैंक कर्मी मौजूदा कीमत के हिसाब से चेक दे देते। इस तरह से साइबर ठगी की रकम भी एक नंबर की हो जाती। यह अपने तरह का पहला मामला है जो सामने आया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अप्रैल माह में पकड़े गए बैंक कर्मी अमित कुमार, आशीष कुमार, धर्मेंद्र सिंह और अमित सिंह को 10-10 लाख रुपये दिए गए थे। जिसके चलते यह लोग खाता खुलवाने, खाता फ्रीज की सूचना देने, वेरीफिकेशन और केवाईसी जैसे काम करते थे।

फरार मास्टर माइंड अभय की दबौली में 5 करोड़ की कोठी

खुलासा

- दो विंग बना बांटी ठगी की फ्रेंचाइजी, बुजुर्गों और युवाओं को बनाते थे निशाना
- 4.20 करोड़ रुपये फ्रीज किए, 5.20 करोड़ की संपत्तियां मिलीं, होंगी अटैच

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जांच में पुलिस को साइबर ठगी का मास्टर माइंड अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ जॉन शीना उर्फ वैलेंटाइन की दबौली उद्योग नगर में पांच करोड़ कीमत की एक कोठी मिली है। वहां कोई रहता नहीं है। पूछताछ में पता चला है कि वह दुबई में है। ऐसे में उसके पासपोर्ट को निरस्त कराया जाएगा। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। वह दुबई में है तो उसे डिपोर्ट कराया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने बुधवार को बताया कि राजबीर और शिवम भी दुबई जा चुके हैं। राजबीर 2023 में जबकि शिवम 2022 और 2024 में दो बार दुबई गया है। लुक आउट नोटिस भी जारी कराया जा रहा है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि साइबर ठगों ने दो विंग बनाकर ठगी की फ्रेंचाइजी बांट रखी थी। पहली विंग चमनगंज में तबरेज आलम, मुजाहिद, अबरार खान, सुफियान समेत छह लोगों को लगाया गया था जबकि दूसरी विंग की जिम्मेदारी सार्थक तिवारी को सौंपी गई थी। सार्थक रतनलाल नगर संभलता था। राजबीर ने सात हवाला बनाए थे। इसमें रतनलाल नगर, गोविंद नगर, गुजैनी, बरां, बंगाली मोहाल, आनंदपुरी, कल्याणपुर को रखा गया। गैंग के सदस्य 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और 22 साल तक के युवाओं को निशाना बनाते थे। खाते में अभय शुक्ला का मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाता। वही सभी खाते ऑपरेट करता था। मेल आईडी भी एक ही अटैच की जाती थी ताकि लॉगिन करने में कोई समस्या न आए। बैंक कर्मी जब खातों को वेरीफिकेशन करने जाते तो वह लोग उनसे मिलीभगत करके झूठी रिपोर्ट लगवा लेते थे और खाता शुरू हो जाता था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि एमएसएमई में फर्म का आवेदन किया जाता था। फर्म पंजीकृत होने पर करंट अकाउंट खुलवाया जाता था। खाते से होने वाली साइबर ठगी की शिकायत पर खाता फ्रीज का मेल आता था तो बैंक कर्मी राजबीर को सूचना देते थे। वहां फ्रीज होने से पहले ही रुपये निकाल लिए जाते थे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि राजबीर के चार खातों में जमा 4.20 करोड़ रुपये फ्रीज कराए गए हैं। उसकी बिहार के रोहतास में डेढ़ करोड़ की, फजलगंज में ढाई करोड़ कीमत की और 1.20 करोड़ का एक एप्रीमेंट मिला है।

दो करोड़ कीमत का गेस्ट हाउस मिला

पुलिस आयुक्त ने बताया, सासाराम बिहार में शिवम के पास दो करोड़ का गेस्ट हाउस है। वह पहले ऑनलाइन बेटिंग करता था। इनके लोग देश के किसी भी हिस्से में फंसते तो छुड़वाने के लिए पैसा भेजने का काम शिवम करता था। उसकी कानपुर में कपड़े की दुकान भी पता चली है। शिवम के पास तीन लग्जरी कारें हैं। तीनों का वीआईपी नंबर 2222 है।

रिश्तेदारों के नाम खाते

पुलिस आयुक्त ने बताया कि राजबीर ने आवास, उद्यम सर्टिफिकेट और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों और जरूरतमंदों के साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम पर खाते खुलवाए। पुलिस को कुल 13 खाते सीएसबी बैंक में मिले हैं। राजबीर ने अपने बहन के नाम पर जो खाता खोला उसमें 50 लाख, प्रशांत के खाते में 50 लाख रुपये, 70 वर्षीय पारस राम के दो खातों में 28 व 55 लाख रुपये मिला है। पारस राम को 10 हजार मासिक देता था। उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक के दो खातों में 25-25 लाख, सिकंदर के खाते में 4.50 लाख मिला है। राजबीर काम को स्वरूप नगर स्थित एक बड़े अस्पताल के पीछे से अंजाम देता था।

बैंकों का नेक्सेस

पुलिस ने अप्रैल 2026 में गेमिंग एप की साइबर ठगी मामले में बैंकों का नेक्सेस खोला था। उस समय सीएसबी बैंक स्वरूप नगर के क्षेत्र मैनेजर गुजैनी निवासी अमित कुमार, यूनिटी स्मॉल बैंक फाइनेंस स्वरूप नगर के रिलेशनशिप मैनेजर कल्याणपुर निवासी आशीष कुमार, एक्सिस बैंक कन्नौज के ऑपरेशनल हेड बहराइच लखनऊ रोड निवासी धर्मेंद्र सिंह, एक्सिस बैंक कन्नौज के छिटी मैनेजर रसूलाबाद निवासी अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

शिवम रोटेट करता रकम

पुलिस आयुक्त ने बताया कि शिवम वर्चुअल नंबर यूज करता है। वह अभय शुक्ला के लिए काम करता है और उसका डिलीवरी मैन है। उसने 20 दिन पहले अपने मौसेरे भाई को भी इस काम में लगाया। शिवम पैसा डिलीवरी के साथ ही खातों में रुपये रोटेट करने का काम करता है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच पैसा खातों में ट्रांसफर करते थे। पहले घंटे में एक लाख रुपये, दूसरे घंटे में दो लाख रुपये और अगले दिन पांच लाख रुपये भेजे जाते थे।

कल दोपहर दो से रात 10 बजे तक रहेगा डायवर्जन

रथ यात्रा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। श्री जगन्नाथ रथयात्रा के बैरी स्थित दुर्गा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर, बैकुंठपुर (बिठूर रोड) तक 24 जुलाई को निकाली जाएगी। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कल्याणपुर और बिठूर रोड क्षेत्र में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। बिठूर तिराहा की ओर से आने वाले वाहन बैरी पुलिया से दाहिने मुड़कर इंद्रानगर रोड से रास्ते निकलेंगे। वहीं यश कोठारी/मैनावती मार्ग से आने वाले वाहन सिंहपुर तिराहे से बार्ड ओर मैनावती मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा में ट्रैफिक कंट्रोल रूम 9305104340 पर संपर्क करने को कहा है।

खाता खुलवा मंगवाई ठगी की रकम, केस

कानपुर। रामबाग निवासी वेदान्त सिंह ने अपने साथियों पर बैंक खाता खुलवाने और उसका प्रयोग साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करने का आरोप लगाया है। वेदान्त के अनुसार फरवरी 2026 में इलाके के मुकेश साहू, उन्हें ले गया। उनकी मुलाकात यश जायसवाल, प्रिंस श्रीवास्तव, कृष्णा और शुभम से कराई। आरोप है उन लोगों ने उनका स्वरूप नगर स्थित इंडियन बैंक में खाता खुलवाया। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

खाते में आया ठगी का पैसा, एफआईआर

- पान मसाला दुकानदार ने होली का चंदा न देने पर घटना का लगाया आरोप
- कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय में लगाई न्याय की गुहार

पार्षद पवन समेत 11 पर हत्या के प्रयास का केस

बिधनू। बिधनू थाना प्रभारी टीवी सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम सेल दक्षिण जोन ने सिंहपुर गांव निवासी सूरज कुमार के पीएनबी खाते की जांच की। इस खाते के संबंध में जबलपुर व महाराजगंज से शिकायतें दर्ज मिलीं। जबलपुर की शिकायत में एक जुलाई 2025 को खाते में तीन हजार और दस हजार जमा कराए जाने का उल्लेख है। मंगलवार को सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई।

कानपुर, संवाददाता। नजीराबाद में पान मसाला दुकानदार ने क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता समेत 11 लोगों पर हत्या के प्रयास, डकैती और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में शिकायत की। न्यायालय के आदेश पर नजीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

अशोक नगर निवासी आकाश कुमार के अनुसार वह नेहरू नगर में पान मसाला की गुमटी लगाते हैं। बीती 29 मार्च 2024 को वह गुमटी बंदकर घर जा रहे थे। आरोप है कि नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय के पास क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता ने अपने साथियों के साथ उन्हें रोककर होली का चंदा मांगा। उन्होंने आर्थिक स्थित ठीक नहीं होने पर चंदा देने पर असमर्थता जताई। जिस पर पार्षद ने जातिसूचक गालियां दीं। विरोध करने पर पार्षद ने साथियों के साथ मिलकर लात, घूसों, लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोपितों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उनके भाई वरुण को भी पीट दिया। इस बीच आरोपितों ने जेब में रखे 2275 रुपये छीने। पुलिस ने उनका और भाई का मेडिकल परीक्षण कराया। घटना के बाद नजीराबाद पुलिस और आलाधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर नजीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पार्षद पवन गुप्ता, भाई पंकज गुप्ता, मयंक गुप्ता उर्फ शालू, हरिओम वर्मा, अजय यादव, आशीष सविता उर्फ नेहरा, मुकेश गौतम, मिथुन शर्मा उर्फ भोलू पंचर समेत दो अन्य लोगों पर हत्या का प्रयास, डकैती, एससीएसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

करंट अकाउंट के लिए एनजीओ को निशाना बना रहे साइबर ठग

- एनसीआरपी पोर्टल पर प्रदेश भर की 100 से ज्यादा शिकायतें
- कानपुर में अब तक सामने आ चुके हैं तीन एनजीओ के मामले
- 30 प्रतिशत कमीशन के लालच में हो रहे ठगी के शिकार

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। साइबर ठग करंट अकाउंट के लिए अब एनजीओ को निशाना बना रहे हैं। राजनीतिक फंड खाते में ट्रांसफर कर 30 प्रतिशत राशि देने का लालच दे रहे हैं। आपके लालच में फंसते ही वह करोड़ों की साइबर ठगी की रकम मंगाकर उसे ठिकाने लगाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। खबर के साथ दिए दो केस इसी तरह की ठगी से जुड़े हैं जिसमें एनजीओ संचालकों को लालच देकर फंसाया गया। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत हुई तो अब एनजीओ संचालक जवाब देते घूम रहे हैं। ऐसे में यदि आप एनजीओ चला रहे हैं तो साइबर ठगी होने से पहले ही सचेत हो जाइये।

साइबर एक्पर्ट बताते हैं कि एनजीओ के खातों की लिमिट अधिक होती है। ऐसे में दो चार करोड़ रुपये आने पर पूछताछ नहीं होती। इसीलिए साइबर ठग अब एनजीओ संचालकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीआरपी पोर्टल पर देशभर की सूचनाएं आती हैं। प्रदेश में ऐसी 100 शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायतों में यह शिकायतें प्रदेश के दूसरे जनपदों की हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायतों मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। एनजीओ संचालक किसी लालच में न फंसे और किसी तरह की अप्रोच पर पुलिस को सूचित करें। **- रघुबीर लाल,** पुलिस आयुक्त

केस 1 दामोदर नगर के स्कूल संचालक दंपति की संस्था के दो खातों में पांच करोड़ रुपये तक का राजनीतिक फंड आने और उस पर 30 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर साइबर ठगों ने मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराई। बैंक खातों और मोबाइल का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर खातों में 1.90 करोड़ रुपये खाते में मंगाए और रुपये म्यूल खातों में ट्रांसफर कर दिए। बेगलुरु पुलिस का नोटिस मिलने पर पता चला कि उनके खातों की 29 शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर की गई है।

केस 2 चकेरी के गांधीग्राम निवासी आशीष कुमार सिंह रुद्र समागम सेवा एवं शिक्षा समिति चलाते हैं। साइबर ठगों ने उन्हें कमीशन का लालच दिया और लखनऊ बुलाया। जहां 20 से 25 नवंबर के बीच उनके करंट अकाउंट में 4.93 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया और इसी दौरान ठगी की राशि को 30 हजार म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया। एनसीआरपी पोर्टल पर कई राज्यों से खाते में राशि जाने की शिकायत हुई तो पुलिस ने पूछताछ की।

> हाल ही में एनजीओ के खातों से ठगी के कई मामले सामने आए हैं। लिमिट अधिक होने के चलते ठग उन्हें लालच देकर फंसाते हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। एनजीओ संचालक किसी लालच में न फंसे और किसी तरह की अप्रोच पर पुलिस को सूचित करें। **- रघुबीर लाल,** पुलिस आयुक्त

मिली हैं। एनजीओ के खातों की यह शिकायतें प्रदेश के दूसरे जनपदों की हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायतों के बीच ही कानपुर में तीन एनजीओ के खातों की शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की गई।

काम की खबरें

1 इन इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली

केस्को गुरुवार को कई इलाकों में शटडाउन लेकर मरम्मत करेगा। बीमा नगर, सतबरी, साकेत नगर यू ब्लॉक, स्वराज इंडिया और एल ब्लॉक फीडर से जुड़े मोहल्लों में सुबह 10 से एक बजे तक, इंद्रा नगर, न्यू आजाद नगर में साढ़े 10 से डेढ़ बजे तक बिजली बंद रहेगी।

2 31 तक छूटे कर्मचारियों को पीएफ में नामांकन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह गए पात्र कर्मचारियों को जोड़ने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी)-2026 शुरू किया है। यह विशेष एकमुश्त अभियान 1 जुलाई से 31 अक्तूबर तक चलेगा।

3 ओटीएस का लाभ लेने को करें आवेदन

भवनों पर बकाया गृहकर, सीवर और जलकल टैक्स की अदायगी को ओटीएस का लाभ के लिए संबंधित जोनल आफिस जाकर 15 अगस्त से 14 सितंबर तक आवेदन करना जरूरी है। वैसे तो यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर-2026 तक लागू होगी। इसका लाभ लेने वालों को बकाया गृहकर और अन्य टैक्स अदायगी में शत प्रतिशत सरचार्ज और ब्याज माफ होगा।

आज का मौसम

32.4° अधिकतम | 25.0° न्यूनतम

सूर्योदय: 06:43 | सूर्यास्त: 07:05

अनुमान: बारिश अब थमेगी और छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी।

शहर 30s

करंट लगने से मशीन ऑपरेटर की मौत

कानपुर। बिधनू के रमईपुर निवासी 38 वर्षीय विजय कुमार एक पान मसाला कंपनी में कर्मचारी थे। परिवार में पत्नी शैलजा, बेटा विशाल और दो बेटियां हैं। परिजन ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक पान मसाला कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे। मंगलवार को एमसीवी चालू करते वक्त करंट लगने से वह अचेत हो गए। साथी कर्मचारी उन्हें उपचार के लिए हैलट ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज होगी।

युवक की मौत में चार लोगों पर हत्या का आरोप

कानपुर। गंगापुर कॉलोनी का मो. सैफ इस्लाम नगर में घायल मिला था। परिजन सैफ को लेकर हैलट के लिए निकले पर रास्ते में मौत हो गई। छोटे भाई मो. आमिर ने बताया, सैफ सोमवार देर रात मेराज बाबा की बजार जाने की बात कह निकला था। मैदान में चार लोगों ने उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

अस्पताल में छात्रा की मौत, हंगामा

कानपुर। कठवन निवासी विश्वनाथ प्राइवेट कर्मचारी हैं। बताया कि दो दिन से बेटी अकाशी बीमार थी। गांव के डॉक्टर को दिखाया था। मंगलवार शाम उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे दोबारा डॉक्टर के यहां ले गए, जहां ग्लूकोज आदि चढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टर ने छात्रा को अस्पताल रिफर किया। अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

टीआई ने ऑटो चालक को डंडे से पीटा

कानपुर। नौबस्ता चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 48 सेकंड के वीडियो में टीआई डंडे से ई-ऑटो चालक को पीट रहा है। टीआई गाली-गलौज कर चालक का हाथ पकड़ ऑटो से घसीटते भी नजर आ रहा है। एक राहगीर ने वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि, आपका अपना अखबार 'हिन्दुस्तान' इसकी पुष्टि नहीं करता है। एसीपी यातायात मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
प्रस्ताव आमंत्रण (लीज आधार पर)
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, अपने क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन हेतु लगभग 3500 वर्गफीट (+/-20%) क्षेत्रफल वाले भवन/परिसर के लिए भवन स्वामियों/अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
मुख्य शर्तें
♦ भवन मुख्य सड़क पर स्थित, तत्काल अथवा 3-6 माह में कब्जे हेतु तैयार। ♦ पर्याप्त पार्किंग, लिफ्ट/सुलभ पहुंच, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं। ♦ पुरुष व महिला कर्मचारियों हेतु पृथक शौचालय अनिवार्य। ♦ रूफटॉप पर सोलर पैनल, RF/VSAT एंटेना, जनरेटर स्थापना व पार्किंग हेतु स्थान बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध।
इच्छुक आवेदक अपने प्रस्ताव/निविदा को स्वामित्व प्रमाण-पत्रों सहित बंद लिफाफे में **दिनांक 20.08.2026 की अपराह्न 3:00 बजे तक** जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी हेतु : upgb.bank.in
(**नोट:** बैंक द्वारा किया गया कोई भी निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा)
क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर नगर, 117/N/26, मनोज कॉर्नर, काकादेव, कानपुर - 208025

Advance Colleges
B.PHARM
D.PHARM
M.PHARM
ADMISSION OPEN
9415040326
9336651555
G.T. Road, Naramau, Kanpur

ई-नीलामी विक्रय सूचना
सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत
बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमा पूंजी
आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति के विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि (लाख में) बोली वृद्धि राशि
	हर्ष नगर शाखा, सत्यदीप 2, बेनाझाबर रोड, हर्ष नगर कानपुर पिन कोड – 208012		
1.	**सह–ऋणी:** श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी कमलेश मिश्रा (स्वर्गीय कमलेश मिश्रा पुत्र वेद प्रकाश मिश्रा के कानूनी उत्तराधिकारी) सुश्री आरुशा मिश्रा पुत्री कमलेश मिश्रा (प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती सीमा मिश्रा के माध्यम से) **मांग सूचना दिनांक: 07.02.2026** **राशि: रू. 43,38,746.65** + ब्याज दिनांक 07.02.2026 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 16.05.2026 / सांकेतिक**	सभी सम्पत्ति का सामिक बंधक स्थित फ्लैट (सम्पूर्ण द्वितीय तल), प्रो–होल्ड प्लॉट सं. 23, ब्लॉक वैभव प्लाजा, रतन लाल नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश मालिक: श्री कमलेश मिश्रा पुत्र वेद प्रकाश मिश्रा (मृतक) एवं श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी स्वर्गीय कमलेश मिश्रा **क्षेत्रफल 99.85 वर्ग मीटर एवं अविभाजित भूमि का क्षेत्रफल 26.55 वर्ग मीटर** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व:** 12 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** प्लॉट सं. 2, **उत्तर:** प्लॉट सं. 22, **दक्षिण:** प्लॉट सं. 24	रू. 51.21 रू. 5.12 रू. 50,000/–
	पनकी शाखा, 573, बी ब्लॉक पनकी, कानपुर – 208020		
2.	**ऋणी:** श्री रंजीत कुमार पुत्र दिनेश कुमार सविता **मांग सूचना दिनांक: 20.09.2025** **राशि: रू. 21,32,822.00** + ब्याज दिनांक 20.09.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 24.12.2025 / सांकेतिक**	सभी सम्पत्ति का सामिक बंधक स्थित मकान सं. ई–1/211 ईडब्ल्यूएस, मिर्जापुर भाग 1, रतनपुर पनकी, जिला कानपुर नगर **क्षेत्रफल: 30.00 वर्ग मीटर** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व:** प्लॉट सं. ई–1/210, **पश्चिम:** प्लॉट सं. ई–1/212, **उत्तर:** 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट सं. ई–1/256एफ	रू. 14.89 रू. 1.48 रू. 25,000/–

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 24.08.2026 शाम 02.00 बजे तक उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 25.08.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तें:– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम सॉविलिंग देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के पूर्तीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। 4. इच्छुक निविदाकर्ता बैंक पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड नियुक्त प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. बैंक पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित प्रस्तावओं को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होंने ईएमडी भुगतान **दिनांक 24.08.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रू. 25000/– के खाव से ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रू. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफ